दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 09-07-2025

सख्ती • दैनिक भास्कर में 5 जुलाई को प्रकाशित खबर पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, पीडब्ल्यूडी के सचिव और निगम आयुक्त देंगे जवाब

शहर से लेकर गांवों तक सड़कों की हालत बदतर, हाई कोर्ट ने मांगा शपथ पत्र

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने बिलासपुर, तखतपुर और मल्हार की जर्जर सड़कों को लेकर दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने लोक निर्माण विभाग के सचिव और नगर निगम आयुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। अब मामले पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी।

दैनिक भास्कर ने 5 जुलाई को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की खराब हालत को लेकर खबर

पहली ही बारिश नहीं झेल पाई 2 करोड़ की सड़क, दरारें आई

दैनिक भास्कर में 5 जुलाई को प्रकाशित खबर।

प्रकाशित की थी। तखतपुर में 2 करोड़ की लागत से बनी सड़क पहली बारिश भी नहीं झेल सकी। जगह-जगह दरारें नजर आने लगी हैं। पुल के पास तीन इंच से अधिक दरारें हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस सड़क के लिए घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है और निर्माण के दौरान रोलिंग व डामरीकरण ठीक से नहीं किया गया। सड़क की लंबाई को भी जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया। कठमुड़ा से जल्दा तक की वास्तविक दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है, जबकि निर्माण तीन किलोमीटर का दिखाया गया है। बाकी डेढ़ किलोमीटर की सड़क को जल्दा से रम्हेपुर तक बनाया गया है, ताकि ठेकेदार को लाभ पहुंचाया जा सके। इसके अलावा मल्हार की मुख्य सड़क पर पानी भरा है।

राज्य सरकार ने कहा- जल्द होगा काम

जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि तखतपुर वाली सड़क में दरारें सिर्फ 120 मीटर के पैच में हैं। उसे जल्द ठीक किया जाएगा। मल्हार की सड़कों को लेकर बताया कि सड़क पर भी काम की स्वीकृति मिल चुकी है और विभाग उचित कदम उठा रहा है। बिलासपुर की सड़कों को लेकर बताया गया कि ये सड़कें नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधीन हैं। निगम ने रखरखाव की कार्रवाई का आश्वासन दिया है।